रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236210
CG-DL-E-01062022-236210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2377] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944
No. 2377] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2504(अ).—भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन का एक पक्षकार है और सम्मेलन का उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली सहित हानिकारक मानवजनित हस्तक्षेपों को रोकेगा;

और, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन के अधीन क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल तथा दोहा संशोधन का अनुसमर्थन किया है, और वर्ष 2004 में राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकरण (एनसीडीएमए) का गठन किया है;

और, भारत ने विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साम्यता और साझा लेकिन विभिन्न उत्तरदायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों की अनुपालना में सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया है;

और, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन के अधीन पेरिस समझौते ने पक्षकारों को उनके संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों सहित अपने जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है।

और, पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में हो रही पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक में स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उनके संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को लागू करने में देशों की सहायता के लिए एकीकृत, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अधीन बाजार तथा गैर-बाजार प्रणाली को अपनाया;

और, पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि उक्त समझौते के अनुच्छेद 6 के अधीन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पक्षकार एक राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण की स्थापना करेंगे और जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन सचिवालय को उसके नामनिर्देशन की सूचना देंगे;

और, राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण मेजबान पक्षकारों के उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मेजबान पक्षकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की प्रक्रिया के अधीन परियोजनाओं और कार्यवाहियों का मूल्यांकन, अनुमोदन और अधिकृत करके सतत विकास तथा पर्यावरण समग्रता को प्राप्त कर रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गठन को आवश्यक और समीचीन मानती है;

अत:, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए 'राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण' के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करती है अर्थात्:-

1.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष;
2.	विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	नीति आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (जलवायु परिवर्तन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
11.	निदेशक, जलवायु परिवर्तन प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों को करेगा, अर्थात्:-

(i) पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के निर्णयों पर आधारित पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित मामलों के संबंध में उपाय करना तथा दिशानिर्देशों को जारी करना;

(ii) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन तथा पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के अधीन सहायक निकाय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिरिक्त अनुच्छेद-6 से संबंधित सुसंगत नियमों और तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों और सामान्य मानदंडों के अनुसार मेजबान पक्षकार द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए परियोजनाओं या गतिविधियों को प्राप्त करना;

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की उपलब्धि और/या अन्य अंतरराष्ट्रीय शमन उद्देश्य के लिए परियोजनाओं और कार्यों से उत्सर्जन में कमी वाली इकाइयों के उपयोग को अधिकृत करना तथा तत्समान सामंजस्य को परिभाषित करना तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्य ढांचा सम्मेलन के अधीन पर्यवेक्षी निकाय या सहायक निकाय को इन इकाईयों के संबंध में जानकारी देना;

(iv) इन परियोजनाओं और कार्यों के पूर्णतया सफल कार्यान्वयन की संभावना का आकलन करना तथा इस बात का आकलन करना कि ये परियोजनाएं और कार्य राष्ट्रीय सतत विकास के उद्देश्य को किस हद तक पूरा करते हैं तथा यह राष्ट्रीय सतत विकास और अन्य प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं तथा कार्यों को प्राथमिकता देगा;

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि आवश्यक हो, की सिफारिश करना कि प्रस्तावित परियोजना और कार्य राष्ट्रीय सतत विकास तथा अन्य प्राथमिकताओं को पूर्ण करें तथा राष्ट्रीय विधिक ढांचे के अनुरूप हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाएं और कार्य स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और हितधारकों से सम्यक रूप से परामर्श किया गया है;

(vi) निवेश के एक ही स्रोत के लिए एक से अधिक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव होने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करना कि उन परियोजनाओं और कार्यों को उच्चतर प्राथमिकता दी जाए, जिनके संवहनीय विकास लाभ अधिक हों और जिनके सफल होने की संभावना सर्वाधिक हो;

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रस्तावों की वित्तीय समीक्षा करना कि अनुच्छेद 6 की परियोजनाओं के बाजार का माहौल उत्सर्जन में कमी वाली इकाईयों के कम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है;

(viii) अनुच्छेद 6 में अनुमोदित परियोजनाओं और कार्यों तथा उनकी उत्सर्जन में कमी की क्षमता की रजिस्ट्री बनाए रखना और यह पुष्टि करना कि उक्त क्षमता को प्राप्त कर लिया है;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि 2020 से पूर्व की स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजनाओं से पात्र प्रमाणित उत्सर्जन कमी को परिवर्तित किया गया है तथा साथ-ही-साथ अनुच्छेद 6.4 के अधीन नए मुद्दों उत्सर्जन में कमी वाली इकाईयों को रखा जाए और रजिस्ट्री में उनका रख-रखाव किया जाए।

(x) यह सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को जारी रखना कि परियोजना को तैयार करने वाले के पास अनुच्छेद 6 की प्रणाली के सभी सुसंगत पहलुओं से संबंधित जानकारी है जिसमें अनुच्छेद 6 के प्रस्तावों के सत्यापन, परियोजना प्रस्तावकों से प्रस्तावों के लिए नमूने और परियोजना गतिविधियों की निगरानी और सत्यापन जैसी गतिविधियों को करने के लिए नामनिर्दिष्ट संगठनों पर डाटाबेस बनाना सम्मिलित है;

(xi) तकनीकी और व्यावसायिक निविष्टियों के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझे गए अनुसार, सरकार, वित्तीय संस्थानों, परामर्शी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटियों, विधि व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करना और आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को सहयोजित करना;

(xii) मेजबान देश द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने वाली परियोजनाओं और सिद्धांतों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करना।

3. राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन/ और पेरिस करार के अनुच्छेद 6 के अधीन स्वच्छ विकास प्रणाली की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकरण और राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण, सम्मानजनक ढंग से कार्य करेंगे।

5. राष्ट्रीय नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण, अपनी गतिविधियों के बारे में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति (एआईपीए) और या यथास्थिति केंद्रीय सरकार, को रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 13008/267/2021-सीसी]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

S.O. 2504(E).—Whereas, India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the objective of the Convention is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

And whereas, India has ratified the Kyoto Protocol and the Doha Amendment to the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change and constituted the National Clean Development Mechanism Authority (NCDMA) in the year 2004;

And whereas, India has ratified the Paris Agreement for implementation of the Convention in accordance with the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances;

And whereas, the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change has established mechanisms to achieve their greenhouse gas emission reduction goals by the parties with their respective Nationally Determined Contributions;

And whereas, the third meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement adopted market and non-market mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement to promote integrated, holistic and balanced approaches to assist countries for implementing their respective Nationally Determined Contributions through voluntary international cooperation;

And whereas, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement decided that Parties participating in the mechanisms under Article 6 of the said agreement shall setup a National Designated Authority and communicate that designation to the United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat.

And whereas, the National Designated Authority will carry out host Party responsibility and ensure that the host Party is achieving sustainable development and environment integrity by evaluating, approving and authorising projects and actions under Article 6 mechanisms of the Paris Agreement;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute a National Designated Authority for the implementation of Article 6 of the Paris Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the “National Designated Authority” for the Implementation of Article 6 of Paris Agreement consisting of the following persons, namely: -

1.	Secretary, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change	Chairperson;
2.	Representative of the Ministry of External Affairs	Member;
3.	Representative of the Department of Economic Affairs	Member;
4.	Representative of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member;
5.	Representative of the Ministry of New and Renewable Energy	Member;
6.	Representative of the Ministry of Power	Member;
7.	Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	Member;
8.	Representative of the Ministry of Science and Technology	Member;
9.	Representative of NITI Aayog	Member;

10. Economic Adviser/Joint Secretary(Climate Change), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member;
11. Director, Climate Change Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	. Member-Secretary

2. The National Designated Authority shall exercise and perform the following powers and functions, namely: -

(i) issue directions with respect to the matters relating to Article 6 of the Paris Agreement based on the decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;

(ii) receive projects or activities for evaluation and approval by the host Party as per the guidelines and general criteria laid down in the relevant rules and modalities and procedures pertaining to Article 6 in addition to guidelines issued by the subsidiary body under the United Nations Framework Convention on Climate Change, and Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;

(iii) authorise the use of emission reduction unit from projects and actions for use towards achievement of Nationally Determined Contribution and or for other international mitigation purpose and define the corresponding adjustment and furnish information regarding these units to the Supervisory Body or Subsidiary Body under the United Nations Framework Convention on Climate Change;

(iv) assess the likelihood of eventual successful implementation of these projects and actions and evaluation of the extent to which the projects and actions meet national sustainable development objective and it shall prioritise project and action in accordance with national sustainable development and other priorities;

(v) recommend additional requirement, if necessary, to ensure that the proposed projects and actions to meet national sustainable development and other priorities and comply with the national legal framework so as to ensure that the projects and actions are compatible with local priorities and stakeholders have been duly consulted;

(vi) ensure that in the event of more than one proposal competing for the same source of investment, projects and actions with higher sustainable development benefits, and which are most likely to succeed are accorded higher priority;

(vii) conduct financial review of proposal for projects and actions to ensure that the market environment of Article 6 projects is not conducive to under-valuation of emission reduction units;

(viii) maintain a registry of approved Article 6 projects and actions and their emission reduction potential and confirm that the potential has been realised;

(ix) ensure that eligible Certified Emission Reduction from pre-2020 Clean Development Mechanism projects are transitioned as well as new issues under Article 6.4 emission reduction units are captured and maintained in the registry;

(x) carry out activities to ensure that project developers have reliable information relating to all relevant aspects of Article 6 mechanisms including the creation of databases on organisation designated for carrying out activities like validation of Article 6 proposals, templates for proposals from project proponents, and monitoring and verification of project activities;

(xi) to invite officials and experts from Government, financial institutions, consultancy organisations, non-governmental organisations, civil society, legal profession, industry, and commerce, as it may deem necessary for technical and professional inputs, and may co-opt other members depending upon need;

(xii) to recommend guidelines to the Central Government for consideration of projects and principles to be followed for according host country approval.

3. The Member-Secretary of the National Designated Authority shall be responsible for day-to-day activities of the National Designated Authority.

4. In order to fulfil emerging requirement of Clean Development Mechanism under the Kyoto Protocol and Article 6 under the Paris Agreement, both National Clean Development Mechanism Authority and National Designated Authority shall function respectfully.

5. National Designated Authority shall furnish reports about its activities to the Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA) and or the Central Government as the case may be.

[F. No. 13008/267/2021-CC]

RAJASREE RAY, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.01 22:07:59 +05'30'